रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 132] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 29, 2014/ज्येष्ठ 8, 1936
No. 132] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 29, 2014/JYAISHTHA 8, 1936

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(विभागवाणिज्य)

(महानिदेशालयपाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क)

जांच शुरूआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मई ,2014

विषय : चीन जन ,में उद्भवित अथवा वहां से निर्यातित मशीनीकृत किए गए या नहीं .गण.अनगढ़परिपूर्ण या , ली के एक भाग के रूप में अथवा पवन चालित विद्युत जनित्रों के या उप असेम्ब , रूप मेंल्डअसेम्ब-उप संघटक के एक भाग के रूप में पवन चालित विद्युत जन/लिए बने किसी उपकरणित्रों के लिए कास्टिग्स के आयातों के संबंध में प्रतिसंतुलनकारी शुल्क जांच की शुरूआत

एफ.सं.17/6/2013: डीजीएडी- समय , अधिनियम प्रशुल्कसमय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क-1975 प) प्रशुल्कसमय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क-और समय (त अधिनियम कहा गया हैजिसे एतद्पश्चा)रिदानीकृत वस्तुओं की पहचान उन पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण ,नियमावली (1995 जिसे) के अनुसार मैसर्स लारसेन एंड टुब्रो लिमिटेड (त नियमावली कहा गया हैजिसे एतद्पश्चा) ने घरेलू उद्योग की ओर से न (त आवेदक कहा गया हैएतद्पश्चािर्दिष्ट प्राधिकारी त प्राधिकारी एतद्पश्चाजिन्हें) में उद्भवित अथवा वहां से (त संबद्ध देश कहा गया हैजिसे एतद्पश्चा) .गण.के समक्ष चीन जन (कहा गया है ली के एक भागया उप असेम्ब , रूप मेंल्डअसेम्ब-परिपूर्ण या उप ,अनगढ़ ,निर्यातित मशीनीकृत किए गए या नहीं के रूप में अथवा पवन चालित विद्युत जनित्रों के लिए बने किसी उपकरणसंघटक के एक भाग के रूप में पवन / के परिदानीकरण का आरोप (कहा गया हैत संबद्ध वस्तुजिसे एतद्पश्चा) ग्सचालित विद्युत जनित्रों के लिए कास्टि लगाते हुए एक आवेदन पत्र दायर किया है और संबद्ध देश मेंें उद्भवित अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क का उद्ग्रहण करने के लिए परिदानरोधी जांच प्रारंभ करने का अनुरोध किया है।

2. और यत:, प्राधिकारी उपपादित करते हैं कि चीन जन में उद्भवित अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध .गण.वस्तु के आयातों के संबंध में प्रतिसंतुलन योग्य परिदानों कातथा कथित परिदानों एवं घरेलू ,घरेलू उद्योग को क्षति का , की हैं जो यह प्रतिसंतुलनकारी शुल्क साक्ष्यया पर्याप्तक संबंधों के प्रथम दृष्टउद्योग को क्षति के बीच कारणात्म जांच प्रारंभ करने को न्य ायोचित ठहराते हैं।

3. उसकी मात्रा और प्रभाव का निर्धारण ,ति के मद्देनजर प्राधिकारी कथित परिदानों की मौजूदगीइस स्थि जो यदि , की ऐसी राशि की सिफारिश करनेकरने तथा प्रतिसंतुलनकारी शुल्कउद्ग्रहण की गई तो घरेलू उद्योग की क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगीखित शर्तों के अनुसार कथित में उल्लि 6 नियमावली के नियम , परिदानीकरण और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति की एतद्वारा जांच प्रारंभ करते हैं।

घरेलू उद्योग

4. यह आवेदनपत्र घरेलू उद्योग के रूप में मैसर्स लारसेन एंड टुब्रो लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। रिकार्ड में उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार आवेदक का उत्पादनप्रतिशत से अधिक होने 50 दन काकुल भारतीय उत्पा , 2 आवेदक नियमावली के नियम :दन का एक बड़ा भाग बनता है। अतकुल घरेलू उत्पा ,के कारण(ख6 और ((3) की अपेक्षाओं को पूरा करता। इसलिए मैसर्स लारसेन एंड टुब्रो को प्रमुख नियमावली के नियम 2(खके आशय के (के रूप में माना जा रहा है। "घरेलू उद्योग" अंतर्गत

विचाराधीन उत्पाद

5. ल्डअसेम्ब-परिपूर्ण या उप ,अनगढ़ ,मशीनीकृत किए गए या नहीं" दवर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पा ली के एक भाग के रूप में अथवा पया उप असेम्ब ,रूप मेंवन चालित विद्युत जनित्रों के लिए बने किसी उपकरण को है। एक पवन चक्की "ग्ससंघटक के एक भाग के रूप में पवन चालित विद्युत जनित्रों के लिए कास्टिं/ , फाउंडेशनमुख्य ,बेस फ्रेम , फ्रेममुख्य ,रोटर नेब ,रोटो हब ,ग पार्टस की जरूरत पड़ती है जिनमें हबकई कास्टिं नैसलीरोटर ,रोटर शैफ्ट , धुरीमुख्य ,हालो शैफ्ट ,बैरिंग सपोर्ट ,बैरिंग हाउस ,नैसली फाउंडेशन ,नैसली फ्रेम , ,रोटर ,जनित्र के पुर्जे ,ग्सजनित्र कास्टिं ,टरस्टै ,पपिच स्टा ,डरलेटरल सस्पें , शैफ्टमुख्य ,ल पिनएक्स ,कपलिंग टार्क आर्म सपोर्ट आदि शामिल हैं। कास्टिंग का मुख्य कार्य पवन चक्की में कुछ अन्य गैरग पुर्जो एवं कास्टिं-ड्स के साथ प्रयोग किए जाने वाले वायु टरबाइन में होता है।संघटकों जैसे ब्ले

6. , अधिनियम प्रशुल्कद को सीमाशुल्कइस विचाराधीन उत्पा1975 के अंतर्गत सीमाशुल्क उपशीर्षक संख्या वर्गीकरण नहीं है। द का कोई समर्पित सीमाशुल्कके अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। इस विचाराधीन उत्पा 8503 कारी नहीं क है और यह किसी भी रूप में वर्तमान जांच के दायरे पर बाध्ययह वर्गीकरण केवल संकेतात्म ,तथापि है।

समान वस्तु

7. आवेदक ने दावा किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुमें उद्भवित अथवा वहां से .गण.चीन जन , और दित संबद्ध वस्तु है। यह अभिकथन किया गया है कि आवेदक द्वारा उत्पा के समान वस्तुनिर्यातित संबद्ध वस्तु के बीच कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। आवेदक का दसे निर्यातित संबद्ध वस्तु .गण.चीन जनावा है कि दोनों वस्तुएं तकनीकी एवं वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु को चीन जनके रूप में माना जा रहा है। "समान वस्तु" केसे आयातित संबद्ध वस्तु .गण.

अंतर्ग्रस्त देश

8. वर्तमान जांचमें अंतर्ग्रस्त देश चीन जनवादी गणराज्य है। (भी कहा गया है .गण.जिसे चीन जन)

<u>जांच की अवधि</u>

9. आवेदक द्वारा यथाप्रस्तावित जांच की अवधि (पीओआई)01 अक्तूबर ,2012 से ,रसितम्ब 302013)12 माहषण करने के लिए प्राधिकारी ने जांच अधिक अद्यतन आंकड़ों के आधार पर अपेक्षित विश्ले ,है। तथापि (,बरअक्तू 01 की अवधि का निर्धारण2012 से ,रदिसम्ब 312013)15 माह(निर्धारित की है। क्षति का विश्लेषण करने के प्रयोजनार्थ विगत तीन वर्षों के आंकड़ों अर्थात अप्रैल 2010 – मार्च2011 , अप्रैल 2011– मार्च2012 , अप्रैल 2012– मार्च तथा जांच की अवधि को शामिल किया गया है। 2013

<u>परिदानीकरण का आरोप</u>

10. आवेदक ने आरोप लगाया है कि संबद्ध वस्तु के उत्पादकों प्रांतों की सरकारों निर्यातकों को उन विभिन्न/रों द्वारा स्तसहित चीन सरकार के विभिन्न ,त हैदक अवस्थिउत्पा/जहां ये निर्यातक ,और नगरपालिकाओं जांचों के लिए कना परिदान का लाभ प्रदान किया गया है। आवेदक ने विभिन्नकार्रवाईयोग्यड़ा के जांच प्राधिकारी का कारणों का विवरण ,यूरोपियन यूनियन के जांच परिणाम , जांच परिणामयूएस प्रतिसंतुलनकारी शुल्क , सरकारी -सरकारी प्रतिवेदनों और गैर ,मीडिया स्रोतों ,चीन प्रासंगिक विधि एवं विनियम ,लियाई रिपोर्टआस्ट्रे यन परषण एवं अध्यविश्ले ,प्रतिवेदनों भरोसा किया है। आवेदक ने वह सूचना उपलब्ध कराई है जो अपने आवेदनपत्र का समर्थन करने के लिए यथोचित रूप से उपलब्ध थी। आवेदक द्वारा उपलब्ध कराया गया साक्ष्य प्रथम दृष्टया यह दर्शाता है कि संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु के उत्पादकों निर्यातकों को चीन जनवादी/गणराज्य की सरकार द्वारा कई परिदान प्रदान करके लाभ पहुंचाया गया है।

11. कार्रवाई योग्य परिदानों के दावे में-: लिखित कार्यक्रम शामिल हैंसाथ निम्न- बातों के साथअन्य ,

I. <u>विशेष आर्थिक जोन क्षेत्र निर्दिष्टहन तथा अन्यप्रोत्सा (एसईजेड)</u>

कार्यक्रम 1: विशेष आर्थिक क्षेत्रों उद्यमोंपित विदेशी निवेशयुक्तमें स्था (शंघाई पुडांग क्षेत्र को छोड़कर) के लिए अधिमानी कर नीतियां (एफआईई)

कार्यक्रम 2: तटीय आर्थिक ओपन क्षेत्रों और आर्थिक एवं प्रौद्योगिकीय विकास जोन में स्थापित एफआईई के लिए अधिमानी कर नीतियां

कार्यक्रम 3: शंघाई के पुडांग क्षेत्र में स्थापित एफआईई के लिए अधिमानी कर नीतियां

कार्यक्रम 4: एसईजेड तथा अन्य निर्दिष्ट क्षेत्रों में कारपोरेट आयकर छूट औरया कमी/

कार्यक्रम 5: एसईजेड तथा अन्य निर्दिष्ट क्षेत्रों में स्थानीय आयकर छूट औरया कमी/

कार्यक्रम 6: एसईजेड तथा अन्य निर्दिष्ट क्षेत्रों में आयातित सामग्री और उपकरणों पर प्रशुल्क एवं मूल्यवर्धित कर छूट (वीएटी)

कार्यक्रम 7: केसिंग और फोर्जिंग सिस्टम के लिए अधिमानी कर

II. <u>अनुदान</u>

कार्यक्रम 8: राज्य प्रमुख प्रौद्योगिकी नवीकरण परियोजना निधि

कार्यक्रम 9: स्थानीय सरकार द्वारा पाटनरोधी औरयों का प्रतिपूर्तिया प्रतिसंतुलनकारी विधिक व्य/

कार्यक्रम 10: अनुसंधान एवं विकास सहायता अनुदान (आरएंडडी)

कार्यक्रम 11: नवाचारी प्रयोगात्मक उद्यम अनुदान

कार्यक्रम 12: सुपरस्टार उद्यम अनुदान

कार्यक्रम 13: उन उद्यमों को पुरस्कार जिनका उत्पादन फेमस ब्रैंड्स " या "वेल नोन ट्रेडमार्क आफ चीन" के लिए अर्ह हो "आफ चीन

कार्यक्रम 14: उन उद्यमों को पुरस्कार जिनका उत्पादन फेमस ब्रैंड्स " या "वेल नोन ट्रेडमार्क आफ चीन" के लिए अर्ह हो "आफ चीन

कार्यक्रम 15: हाई के लिए जोखिम निवेश निधिटेक इंडस्ट्री-

कार्यक्रम 16: विदेशी निवेश से मुख्यालयों एवं क्षेत्रीय मुख्यालयों की स्थापना करने के लिए अनुदान

कार्यक्रम 17: नवाचारी लघु एवं मध्यम उद्यम अनुदान

कार्यक्रम 18: गैर वाले निर्यात उद्यमों को अनुदानमित्वसरकारी स्वा-

III .<u>इक्विटी कार्यक्रम</u>

कार्यक्रम 19: टी अनुप्रेरणइक्वि

कार्यक्रम 20: असंदत्त लाभांश

कार्यक्रम 21: कास्टिंग उद्योग को अधिमानी ऋण एवं ब्याज दर

कार्यक्रम 22: उन उत्पादक एफआईई को न्यूनीकृत कर दर जिनकी प्रचालन अवधि वर्षों से कम न हो 10

कार्यक्रम 23: विदेशी निवेशयुक्त निर्यात उद्यमों के लिए अधिमानी कर नीतियां

कार्यक्रम 24: विदेशी निवेशयुक्त उन उद्यमों के लिए अधिमानी कर नीतियां जो प्रौद्योगिकी गहन एवं ज्ञान गहन हों

कार्यक्रम 25: एफआईई के अनुसंधान एवं विकास के लिए अधिमानी कर नीतियां

कार्यक्रम 26: उन एफआईई और विदेशी उद्यमों के लिए अधिमानी कर नीतियां जिनकी अवस्थापना या जिनका स्थान चीन में है और जो घरेलू रूप से उत्पादित उपकरणों की खरीद करके उत्पादन या व्यवसाय प्रचालनों में लगे हों

कार्यक्रम 27: उन घरेलू उद्यमों के लिए अधिमानी कर नीतियां जो तकनीकी उन्नयन प्रयोजनार्थ घरेलू रूप से उत्पादित उपकरणों की खरीद करते हों

कार्यक्रम 28: एफआईई के लाभ का विदेशी निवेशकर्ता द्वारा पुनर्निवेश करने के लिए आय कर प्रतिदाय।

IV. <u>सामग्री एवं मशीनरी पर शुल्कों एवं करों से राहत</u>

कार्यक्रम 29: आयातित प्रौद्योगिकियों और उपकरणों के लिए प्रशुल्क एवं आयात वैट की छूट (वीएटी)

कार्यक्रम 30: भूमि प्रयोग शुल्क में कटौती

कार्यक्रम 31: सरकार द्वारा इनपुट सामग्री हाट रोल्ड स्टील उचित बाजार मूल्य से कम मूल्य पर प्रदान करना

कार्यक्रम 32: हाट रोल्ड स्टील उचित बाजार मूल्य से कम मूल्य पर प्रदान करना

कार्यक्रम 33: सरकार द्वारा उचित बाजार मूल्य से कम मूल्य पर विद्युत प्रदान करना

कार्यक्रम 34: औद्योगिक या अन्य विशेष आर्थिक जोनों में स्थित कंपनियों को यथेष्ट क्षतिपूर्ति से कम पर भूमि प्रदान करना

कार्यक्रम 35: यथेष्ठ क्षतिपूर्ति से कम पर जल का प्रावधान करने का कार्यक्रम

कार्यक्रम 36: यथेष्ठ क्षतिपूर्ति से कम पर विभिन्न वस्तुओं का प्रावधान

कार्यक्रम 37: अनुसंधान एवं विकास यों मेव्य (आर एंड डी)ं छूट के लिए कर नीतियां

कार्यक्रम 38: केंद्रीय और पश्चिमी क्षेत्रों के लिए कर रियायतें

कार्यक्रम 39: घरेलू रूप से विनिर्मित उपकरणों की खरीद के लिए आय कर क्रेडिट

कार्यक्रम 40: उन कंपनियों के लिए अधिमानी कर नीतियां जिनकी उच्च एवं नवीन प्रौद्योगिकी की कंपनियों के रूप में मान्यता है
कार्यक्रम 41: व्यापक संसाधन उपयोग में लगे उद्यमों को आयकर रियायत (मालविशेष कच्चे)
कार्यक्रम 42: विशेष उपकरणों की खरीद के संबंध में कर क्रेडिट
कार्यक्रम 43: उत्तरपूर्वी क्षेत्र में उद्यमों के लिए अधिमानी आय कर नीति
कार्यक्रम 44: क्वालिफाइड रेजिडेंट उद्यमों के बीच लाभांश छूट
कार्यक्रम 45: सरकार द्वारा यथेष्ठ क्षतिपूर्ति से उच्चतर पर वस्तु की खरीद।

12. कार्यक्रम प्रतिसंतुलनकारी या यह दर्शाते हैं कि उपर्युक्त प्रथम दृष्टआवेदक द्वारा प्रदान कराए गए साक्ष्य परिदान हैं क्योंकि उनमें चीन जनवादी गणराज्य की सरकार या अन्य क्षेत्रीय सरकारों सार्वजनिक निकायों) कर्ताओं को लाभ होता है। वे है और उससे प्राप्तसे वित्तीय योगदान या आय या कीमत सहायता अंतर्ग्रस्त (सहित न पर घरेलू वओं के स्थाया आयातित वस्तु/दन औरनिर्यात निष्पास्तुओं का प्रयोग करने के लिए आपातिक हैं और नों तक सीमित हैं और इसलिए वे विशिष्टया स्था/या उद्यम प्रकारों और/रों औरया कतिपय सेक्ट/और प्रतिसंतुलन करने योग्य हैं।

13. परिदानों के कार्यक्रमों के अलावा कथित कार्रवाई योग्यकी सरकार के उपर्युक्त .गण.चीन जन लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी जांच की प्रक्रिया के दौरान व्यक्त चीन जनवादी गणराज्य सकरार के किसी अन्य कार्यक्रम की जांच कर सकते हैं।

<u>परामर्श</u>

14. 05 में दिनांककी सरकार के प्रतिनिधियों के साथ जांच शुरूआत पूर्व परामर्श नई दिल्ली .गण.चीन जन ,मई2014 को आयोजित किया गया था। इस परामर्श के दौरान चीन की सरकार ने दावा किया कि परिदान संबंधी कुछ कथित स्कीमोंचीन ,कार्यक्रमों को पहले से ही रद्द कर दिया गया है। तथापि/ जनकी सरकार ने .गण. प्रदान नहीं कराया। इसके अतिरिक दावे के समर्थन में कोई साक्ष्यअपने उपर्युक्त्तकी सरकार ने .गण.चीन जन , ति के मद्देनजर प्राधिकारी स्थिकार्यक्रमों की मौजूदगी का भी विरोध नहीं किया। उपर्युक्त/ कथित परिदानोंअन्य हैं जो चीन साक्ष्यया पर्याप्त परिदानों की मौजूदगी के प्रथम दृष्टयह धारित करते हैं कि प्रतिसंतुलन करने योग्य .गण.जनके विरूद्ध प्रतिसंतुलनकारी शुल्क जांच की नियमानुसार शुरूआत को न्यायोचित ठहराते हैं।

<u>क्षति एवं कारणात्मक संबंध</u>

15. आवेदक ने घरेलू उद्योग को क्षति के संबंध में नियमों में यथाविहित कई पैरामीटरों से संबंधित सूचनात की है। आवेदक द्वारा प्रदान कराया गप्रस्तुया साक्ष्य प्रथम दृष्टया यह दर्शाता है कि संबद्ध देश से आयात में वृद्धि न केवल समग्र रूप से हुई है बल्कि भारत में उत्पादन एवं खपत के संबंध में भी वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग के निष्पादन में उत्पादन निवेश ,लाभ ,बिक्री मात्रा एवं मूल्य ,क्षमता उपयोग ,पर आयनकदी प्रवाह तथा बाजार , के रूप में गिरावट आई है। आयात घरेलू उद्योग की कीमतों का अधोरदन कर रहे हैं और आयातों का प्रभाव हिस्से हैं साक्ष्यया पर्याप्तकीमतों का भारी मात्रा में निग्रह कर रहा है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस बात के प्रथम दृष्ट कि घरेलू उद्योग को चीन जनहुई है जो नियमों के अंतर्गत "क्षति" से परिदानीकृत आयातों के कारण .गण. योचित ठहराते हैं। जांच शुरूआत को न्याप्रतिसंतुलनकारी शुल्क

<u>सूचना प्रस्तुत करने की प्रक्रिया</u>

16. जांच की प्रक्रिया के दौरान प्राधिकारी यह निर्धारित करेंगे कि क्या संबद्ध देश में उद्भवित संबद्ध उत्पाद परिदानीकृत और प्रतिसंतुलनकारी करने योग्य है और क्या इस परिदानीकरण से भारतीय घरेलू उद्योग को क्षति कारित हुई है।

17. ज्ञातद से संबद्ध अन्यभारत में इस उत्पा , की सरकारचीन जनवादी गणराज्य ,के निर्यातकों .गण.चीन जन आयातकों और उपयोगकर्ताओं को तथा घरेलू उद्योग को अलग से सूचना प्रेषित की जा रही है जिससे वे विहित प्ररूप और स्वरूप में संगत सूचना प्रदान कर सकें। इस जांच में प्रतिभागिता करने के इच्छुक कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी निम्नलिखित को लिख सकता है :

निर्दिष्ट प्राधिकारी

पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

कमरा नं .240, उद्योग भवन

नई दिल्ली-110107

18. प्रमुख नियमावली के नियम 7(5) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी इस जांचाधीन उत्पाद के औद्योगिक प्रयोक्ताओं तथा प्रतिनिधिक उपभोक्ता संगठनों को भी अवसर प्रदान कर रहे हैं जो इस जांच में परिदानक्षति , क संबंधों से संगत सूचना प्रदान कर सकते हों। कोईऔर कारणात्म अन्य हितबद्ध पक्षकार भी अधोलिखित समय सीमा के अंदर विहित स्वरुप और ढंग से इस जांच से संगत जानकारी का प्रस्तुतिकरण कर सकता है।

<u>समय-सीमा</u>

19. वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी सूचना लिखित रुप में प्रेषित किया जाना चाहिए जिससे वह प्राधिकारी के पास उपर्युक्त पते पर इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से **40** दिनों) चालीस(से अनधिक समय में पहुंच जाए। तथापि से उन्हें , अलग से संबोधित किया जा रहा हैजिन्हें ,ज्ञात निर्यातकों एवं आयातकों से ,चीन सरकार , के अंदर (चालीस) दिनों 40 अलग से संबोधित पत्र की तारीख से सूचना प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है। यह नोट किया जाए कि विहित समय र करने के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।सीमा में विस्ता-

20. इस जांच से संबंधित कोई भी सूचना लिखित रूप में इस प्रकार प्रदान की जानी चाहिए कि वह इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से सीमा -दिनों के अंदर प्राधिकारी के पास पहुंच जाए यदि निर्धारित समय 40 पाटनरोधी नियमावली के , सूचना अधूरी है तो प्राधिकारी नहीं होती है या प्राप्तके भीतर कोई सूचना प्राप्त र्ष दर्ज कर सकते ह के आधार पर अपने निष्क तथ्योंअनुसार रिकार्ड में उपलब्धैं।

<u>अगोपनीय आधार पर सूचना उपलब्ध करना</u>

21. नियमावली के नियम खित शर्तों के अनुसार हितबद्ध पक्षकारों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे में उल्लि 8 वलीत करें। प्रश्नाप्राधिकारी को प्रदान कराई गई गोपनीय सूचना का अगोपनीय पाठ भी प्रस्तुके उत्तर निवेदन/के किसी भी भाग के लिए गोपनीयता का दावा किए जाने के मामले में इसे दो अलगत किया अलग भागों में प्रस्तु-) :जाना चाहिएक (गोपनीय के रूप में चिह्नित) शीर्षक विषय ,सूची ,पृष्ठ की संख्या आदि (तथा) ख (दूसरा भाग अगोपनीय के रूप में चिह्नित (शीर्षक विषय ,सूची ,पृष्ठों की संख्या आदि(। उपलब्ध कराई गई समस्त सूचना में प्रत्येक पृष्ठ के ऊपर स्पष्ट रुप से ''अगोपनीय'' अथवा ''गोपनीय'' लिखा जाना चाहिए।

22. कराई गई सूचना अगोपनीय समझी जाएगी और प्राधिकारी किसी भी तरह के चिह्न के बिना उपलब्ध हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी किअन्यसी भी अगोपनीय सूचना का निरीक्षण करने का अनुमति प्रदान करने हेतु स्वतंत्र होंगे। गोपनीय तथा अगोपनीय दोनों रूपांतरों की दो)2 त की जानी चाहिए।प्रतियां प्रस्तु (

23. गोपनीय के रुप में दावाकृत किसी भी सूचना के लिए सूचना के प्रदाता से यह अपेक्षा की जाती है कि वह प्रदत्त सूचना के साथ नहीं किया जा सूचना का प्रकटन क्योंत करेगा कि उक्तसाथ उन कारणों का विवरण प्रस्तु- नहीं सूचना को सारांश रुप में क्योंया उक्त/सकता है और प्रस्तुत किया जा सकता है।

24. गोपनीय सूचना की प्रतिकृति होना अपेक्षित है जिसके साथ ,अगोपनीय सूचना गोपनीय सूचना कोउस , संक्षेप में बताया जाए। /सूचीबद्ध किया जाए ,सूचना के आधार पर जिस पर गोपनीयता का दावा किया गया है तअगोपनीय सारांश गोपनीय आधार पर प्रस्तुसूचना के विषय का एक युक्तिसंगत विवरण होना चाहिए जिससे उस विषय को समझा जा सके। फिर भीत करने वाला पक्षकार यह गोपनीय सूचना प्रस्तु ,विशेष परिस्थितियों में , रा भी प्रदानत करना संभव नहीं है और कारणों का एक ब्यौप्रदर्शित कर सकता है कि ऐसी सूचना का सार प्रस्तु कर सकता है कि संक्षेपण संभव क्यों नहीं है प्राधिकारी की संतुष्टि हेतु मुहैया कराना चाहिए।निर्दिष्ट ,
25. प्राधिकारी प्रस्तुत की गई सूचना की प्रकृति की जांच करने के पश्चात गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकते है। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीय के लिए किया गया अनुरोध वांछित नहीं है अथवा सूचना का प्रदाता उस सूचना के सार्वजनिक करने का या तो इच्छुक नहीं है या उसका सामान्यीकृत अथवा सारांश रुप में प्रकटीकरण करने को प्राधिकृत करना नहीं चाहता है तो प्राधिकारी ऐसी सूचना की अवहेलना कर सकते है।

26. सार्थक अगोपनीय पाठ के बिना अथवा गोपनीयता की दावे के संबंध में दिए गए कारण के ब्यौरे के बिना प्रस्तुत की गई सूचना को निर्दिष्ट प्राधिकारी रिकार्ड में नहीं लेंगे। प्राधिकारी होने और सूचना से संतुष्टप्रदत्त , रुप कराने वाले पक्षकार द्वारा विशिष्टऐसी सूचना उपलब्ध ,कार कर लेने परकता को स्वीगोपनीयता की आवश्य क ,से प्राधिकृत किए बिनाि‍सी भी पक्षकार के समक्ष इसे प्रकट नहीं करेंगे।

<u>असहयोग</u>

27. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है या उचित समय के भीतर उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है अथवा जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो निर्दिष्ट प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्रीय सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

<u>सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण</u>

28. पाटनरोधी अधिनियम के नियम **6(7)** के अनुसार कोई भी हितबद्ध पक्षकार अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के अगोपनीय रुपांतर वाली सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है।

जे. एस. दीपक, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

<u>INITIATION NOTIFICATION</u>

New Delhi, the 29th May, 2014

Subject: Initiation of Countervailing Duty investigation concerning imports of Castings for Wind Operated Electricity Generators, whether or not machined, in raw, finished or sub-assembled form, or as a part of a sub-assembly, or as a part of an equipment/component meant for wind-operated electricity generators, originating in or exported from China PR.

F. No.17/6/2013-DGAD: M/s. Larsen & Toubro Limited (hereinafter referred to as the applicant) filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority), on behalf of the domestic industry, in accordance with the Customs Tariff Act 1975, as amended from to time (hereinafter referred to as the Act)

and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Countervailing Duty on Subsidized Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from to time, (hereinafter referred to as the Rules), alleging subsidization of Castings for Wind Operated Electricity Generators, whether or not machined, in raw, finished or sub-assembled form, or as a part of a sub-assembly, or as a part of an equipment/component meant for wind-operated electricity generators, (hereinafter referred to as the subject goods), originating in or exported from China PR (hereinafter referred to as the subject country) and requested for initiation of anti-subsidy investigation for levy of countervailing duties on the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject country.

2. And whereas, the Authority finds that sufficient prima facie evidence of countervailable subsidies, in relation to imports of the subject goods, originating in or exported from China PR, injury to the domestic industry and causal link between the alleged subsidies and injury to the domestic industry exist to justify initiation of a countervailing duty investigation.

3. In view of the position, the Authority hereby initiates an investigation into the alleged subsidisation and consequent injury to the domestic industry in terms of the Rule 6 of the Rules, to determine the existence, degree and effect of alleged subsidies and to recommend the amount of countervailing duty, which, if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

Domestic Industry

4. The application has been filed by M/s Larsen & Toubro Limited as domestic industry. As per the evidence available on record, production of the applicant, being more than 50% of Indian production, accounts for a major proportion of the total domestic production. The application thus satisfies the requirements of Rule 2(b) and Rule 6(3) of the Rules. Thus, M/s. Larsen & Toubro Limited is being treated as “domestic industry” within the meaning of Rule 2(b) of Rules supra.

Product under consideration

5. The product under consideration in the present investigation is “Castings for Wind Operated Electricity Generators, whether or not machined, in raw, finished or sub-assembled form, or as a part of a sub-assembly, or as a part of an equipment/component meant for wind-operated electricity generators”. A Windmill requires a number of casting parts, including the Hub, Rotohub, Rotor Nabe, Main Frame, Base Frame, Main Foundation, Nacelle, Nacelle Frame, Nacelle Foundation, Bearing Housing, Bearing Support, Hollow Shaft, Main Axle, Rotor Shaft, Rotor Coupling, Axle Pin, Main Shaft, Lateral Suspender, Pitch Stop, Stator, Generator castings, Part of Generators, Rotor, Torque Arm support, etc. The basic function of a casting is in a wind turbine, to be used in a wind mill along with some other non-casting parts and components like blades, etc. which leads to the generation of electricity.

6. The product under consideration is classified under Customs sub-heading No. 8503 under the Customs Tariff Act, 1975. The product under consideration does not have dedicated customs classification. The classification is, however, indicative only and in no way binding on the scope of the present investigation.

Like Articles

7. The applicant has claimed that the goods produced by the domestic industry are like articles to the subject goods originating in or exported from China PR. It has been stated that there is no significant difference in the subject goods produced by the applicant and those exported from China PR. The applicant claims that the two are technically and commercially substitutable. For the purpose of present investigation, the subject goods produced by the domestic industry are being treated as ‘like articles’ of the subject goods imported from China PR.

Country involved

8. The country involved in the present investigation is People’s Republic of China (also referred to as China PR).

Period of investigation

9. The Period of Investigation (POI), as proposed by the applicant, was from 1st October, 2012 to 30th September, 2013 (12 months). However, to make required analysis on the basis of more updated data, the Authority has determined the POI as 1st October, 2012 to 31st December, 2013 (15 months). For the purpose of analyzing injury, the data of previous three years, i.e. April 2010 – March, 2011, April 2011 – March 2012, April 2012 - March 2013 and the POI.

Allegation of subsidisation

10. The applicant has alleged that the producers/exporters of the subject goods have benefited from the actionable subsidies provided by various levels in the Government of China, including the governments of the different provinces and municipalities in which the producers/exporters are located. The applicant has relied upon documents such as the Canadian Investigation Authority's Statements of Reasons for various investigations, a US countervailing duty investigation finding, European Union finding, Australian reports, relevant Chinese laws and regulations, media sources, government reports and independent reports, analysis and studies. The evidence provided by the applicant *prima facie* shows that the producers/exporters of the subject goods in the subject country have benefited from a number of subsidies granted by the Government of the People's Republic of China.

11. The claim of actionable subsidies consist, inter alia, of the following programmes:

I. Special Economic Zone(SEZ) Incentives and Other Designated Areas

Program 1: Preferential Tax Policies for Enterprises with Foreign Investment (FIEs) Established in Special Economic Zones (excluding Shanghai Pudong Area).

Program 2: Preferential Tax Policies for FIEs Established in the Coastal Economic Open Areas and in the Economic and Technological Development Zones

Program 3: Preferential Tax Policies for FIEs Established in the Pudong Area of Shanghai

Program 4: Corporate Income Tax Exemption and/or Reduction in SEZs and Other Designated Areas

Program 5: Local Income Tax Exemption and/or Reduction in SEZs and Other Designated Areas

Program 6: Tariff and Value-added Tax (VAT) Exemptions on Imported Materials and Equipment in SEZs and Other Designated Areas

Program 7: Preferential Tax for Casing and Forging Systems

II. GRANTS

Program 8: The State Key Technology Renovation Projects Fund

Program 9: Reimbursement of Anti-dumping and/or Countervailing Legal Expenses by the Local Governments

Program 10: Research & Development (R&D) Assistance Grant

Program 11: Innovative Experimental Enterprise Grant

Program 12: Superstar Enterprise Grant

Program 13: Awards to enterprises whose products qualify for "Well-Known Trademarks of China" or "Famous Brands of China"

Program 14: Awards to Enterprises Whose Products Qualify for "Well-Known Trademarks of China" or "Famous Brands of China"

Program 15: Venture Investment Fund of Hi-Tech Industry

Program 16: Grants for Encouraging the Establishment of Headquarters and Regional Headquarters with Foreign Investment

Program 17: Innovative Small and Medium Enterprise Grants

Program 18: Grants to Privately-Owned Export Enterprises

III. EQUITY PROGRAM

Program 19: Equity infusions

Program 20: Unpaid dividends

Program 21: Preferential loans and interest rates to the casting industry

Program 22: Reduced Tax Rate for Productive FIEs Scheduled to Operate for a Period not Less Than 10 Years

Program 23: Preferential Tax Policies for Foreign Invested Export Enterprises

Program 24: Preferential Tax Policies for FIEs which are Technology Intensive and Knowledge Intensive

Program 25: Preferential Tax Policies for the Research and Development of FIEs

Program 26: Preferential Tax Policies for FIEs and Foreign Enterprises Which Have Establishments or Places in China and are Engaged in Production or Business Operations Purchasing Domestically Produced Equipments

Program 27: Preferential Tax Policies for Domestic Enterprises Purchasing Domestically Produced Equipments for Technology Upgrading Purpose

Program 28: Income Tax Refund for Re-investment of FIE Profits by Foreign Investors

IV. <u>**RELIEF FROM DUTIES AND TAXES ON MATERIALS AND MACHINERY**</u>

Program 29: Exemption of Tariff and Import VAT for Imported Technologies and Equipment

Program 30: Reduction in Land Use Fees

Program 31: Input Materials Hot Rolled Steel Provided by Government at Less than Fair Market Value

Program 32: Hot rolled Steel Provided by Government at Less than Fair Market Value

Program 33: Electricity provided by Government at less than Fair Market Value:

Program 34: Land for Less Than Adequate Remuneration to Companies Located in Industrial or Other Special Economic Zones

Program 35: Programme consisting of provision of water for less than adequate remuneration

Program 36: Provision of various goods for less than adequate remuneration

Program 37: Tax Policies for the deduction of research and development (R&D) expenses

Program 38: Tax concessions for Central and Western Regions

Program 39: Income tax credit for the purchase of domestically manufactured production equipment

Program 40: Preferential tax policies for companies that are recognised as high and new technology companies

Program 41: Income tax concessions for the enterprises engaged in comprehensive resource utilisation (special raw materials')

Program 42: Tax credit concerning the purchase of special equipment

Program 43: Preferential income tax policy for the enterprises in the Northeast region

Program 44: Dividend exemption between qualified resident enterprises

Program 45: Purchase of Goods by the Government for higher than adequate Remuneration

12. The evidence provided by the applicant prima facie shows that the above programmes constitute countervailable subsidies since they involve a financial contribution or income or price support from the Government of the People's Republic of China or other regional governments (including public bodies) and confer a benefit to the recipients. They are alleged to be contingent upon export performance and/or the use of domestic over imported goods and/or are limited to certain sectors and/or types of enterprises and/or locations, and are therefore specific and countervailable.

13. Apart from the above stated programmes of Government of China PR, alleged to be actionable subsidies, the Designated Authority may investigate in to any other program of Government of China PR which may be revealed during the course of the investigation as actionable subsidies.

Consultation

14. The pre-initiation consultations were held with the representatives of the Government of China PR on 5th May 2014 in New Delhi. During the consultations, the Government of China has claimed that some of the alleged subsidy schemes/programmes have already been rescinded. However, the Government of China PR has not provided any evidence in support of their aforesaid claim. Further, the Government of China PR has not disputed the existence of other alleged subsidies/programmes. In view of the above position, the Authority holds that there is sufficient prima facie evidence with regard to existence of countervailable subsidies to justify initiation of countervailing duty investigation against China PR in terms of the Rules.

Injury and Causal Link

15. The applicant has furnished information on various parameters relating to 'injury' to the domestic industry as prescribed under Rules.The evidence provided by the applicant *prima facie* shows that the imports from subject country have increased not only in absolute terms but also in relation to production and consumption in India. Performance of the domestic industry has deteriorated in terms of production, capacity utilization, sales values & volume, profits, return on investments, cash flow and market share. Imports are significantly undercutting the prices of domestic industry and the effect of the imports is to depress prices to a significant degree. The Authority notes that there is sufficient prima facie evidence that the 'injury' to the domestic industry has been caused by subsidized imports from China PR to justify initiation of a countervailing duty investigation in terms of the Rules.

Procedure & Submission of information

16. During the course of the investigation, the Authority will determine whether the product concerned originating in the subject country is being subsidised and countervailable and whether this subsidization has caused injury to the Indian domestic industry.

17. The exporters in China PR, Government of China PR, importers and users in India known to be concerned and the domestic industry are being informed separately to enable them to file all information relevant in the form and manner prescribed. Any other party interested to participate in the present investigation may write to:

The Designated Authority

Directorate General of Anti-Dumping & Allied Duties

Department of Commerce

Ministry of Commerce & Industry

Room No. 240, Udyog Bhawan

New Delhi-110107

18. As per Rule 7(5) of the Rules supra, the Designated Authority is also providing opportunity to the industrial users of the product under investigation, and to representative consumer organizations who can furnish information which is relevant to the investigation regarding subsidy, injury and causal link. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation within the time limit set out below.

Time limit

19. Any information relating to the present investigation should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than 40 (forty) days from the date of publication of this notification. The Government of China, known exporters and importers, who are being addressed separately, are however required to submit the information within 40 (forty) days from the date of the letter addressed to them separately. If no information is received within the prescribed time limit or the submitted information is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules. It may be noted that no request, whatsoever, shall be entertained for extension in the prescribed time limit.

20. Any information relating to this investigation should be sent in writing so as to reach the Authority at the above address not later than 40 days from the date of publication of this notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record their findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules supra.

Submission of Information on Non-Confidential basis

21. In terms of Rule 8 of the Rules, the interested parties are required to submit non-confidential version of any confidential information provided to the Authority. In case confidentiality is claimed on any part of the questionnaire's response/submissions, the same must be submitted in two separate sets (a) marked as Confidential (with title, index, number of pages, etc.) and (b) other set marked as Non-Confidential (with title, index, number of pages, etc.). All the information supplied must be clearly marked as either "confidential" or "non-confidential" at the top of each page.

22. Information supplied without any mark as "Confidential" shall be treated as non-confidential and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect any such non-confidential information. Two (2) copies each of the confidential version and the non-confidential version must be submitted.

23. For information claimed as confidential; the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed and/or why summarization of such information is not possible.

24. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out / summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible of summary; a statement of reasons why summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.

25. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

26. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim may not be taken on record by the Authority. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided; shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such confidential information.

Non cooperation

27. In terms of Rule 7(8), in case where an interested party refuses access to or does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

Inspection of Public File

28. In terms of Rule 7(7), any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties.

J. S. DEEPAK, Designated Authority

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.